News Today
HINDUSTAN, Delhi, 12.6.2017
Page No. 15, Size:(13.39)cms X (8.41)cms.

'दस लाख फर्जी पैन कार्ड छोटा आंकड़ा नहीं'

सुप्रीम कोर्ट की राय

नई दिल्ली | एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यक्तिगत करदाताओं के 10.52 लाख फर्जी पैन कार्डों के आंकड़े को देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिहाज से छोटा नहीं बताया जा सकता है। यह आंकड़ा ऐसे कुल दस्तावेज का 0.4 फीसदी है।

कोर्ट ने कहा कि यह बात रिकॉर्ड में आ चुकी है कि 11.35 लाख फर्जी या नकली पैन नंबरों की पहचान की गई है। इनमें से 10.52 लाख मामले व्यक्तिगत करदाताओं से जुड़े हैं। कोर्ट ने पैन कार्ड को जारी करने और टैक्स रिटर्न दाखिल करने में आधार को अनिवार्य बनाने की आयकर कानून की धारा 139एए को वैध ठहराते हुए 157 पन्नों के फैसले में ये बातें कहीं।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तब तक के लिए इसे लागू किए जाने पर आंशिक रोक लगा दी, जब तक उसकी संवैधानिक पीठ आधार से जुड़े निजता के अधिकार के वृहद मुद्दे पर गौर नहीं कर लेती। कानून की धारा 139एए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए और पैन कार्ड के आवंटन की याचिका दायर करने के लिए आधार या उसके लिए किए गए आवेदन के पंजीकरण संबंधी जानकारी देने को अनिवार्य बनाती है। यह प्रावधान 1 जुलाई से लागू होना है।

अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा

न्यायमूर्ति एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ताओं ने यह दलील देने की कोशिश की कि फर्जी पैन कार्ड वाले लोग महज 0.4% हैं, इसलिए ऐसे किसी प्रावधान की जरूरत नहीं है। अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और देश पर बुरा प्रभाव डालने के लिहाज से इस संख्या को छोटा नहीं माना जा सकता। पीठ ने कहा, हम प्रतिशत के आंकड़ों के हिसाब से नहीं चल सकते। ऐस मामलों की सटीक संख्या 10.52 लाख है।